भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 412
02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: उद्यम पूंजी सहायता योजना

412. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) की उद्यम पूंजी सहायता (वीसीए) योजना के अन्तर्गत प्रारंभ से लेकर अब तक लाभार्थियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक लाभार्थी के नाम, पता, परियोजना का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें स्वीकृत एवं वितरित की गई राशि कितनी है;

(ख) ऐसे कितने मामले हैं जहां पुनर्भुगतान लंबित है अथवा चूक हुई है तथा इसमें शामिल लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा कितनी राशि बकाया है;

(ग) वीसीए स्कीम के तहत बट्टे खाते में डाले गए मामलों की संख्या और कुल कीमत कितनी है, और ऐसे लाभार्थियों और परियोजना का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने वीसीए स्कीम के तहत लोन या सहायता को बट्टे खाते में डालने या माफ करने के लिए कोई पॉलिसी या गाइडलाइन बनाई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) की उद्यम पूंजी सहायता (वीसीए) योजना के अंतर्गत 3353 मामले स्वीकृत किए गए और 949.85 करोड़ रुपये जारी किए गए। ऐसे 516 मामले हैं जिनमें लाभार्थियों ने 149.83 करोड़ रुपये की मूल राशि की वापसी अदायगी में चूक की है। विस्तृत जानकारी एसएफएसी की वेबसाइट (https://sfacindia.com) पर 'प्रपत्र और दस्तावेज़' सेक्शन में उपलब्ध है।

(ग): एसएफएसी द्वारा किसी भी वीसीए मामले को बट्टे खाते में नहीं डाला गया।

(घ): वर्ष 2022 में वीसीए योजना समाप्त कर दी गई है।

*****